तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा / प्रश्न कक्ष

संख्या:डी.ई.–25 (13)/208/वि.कार्य/2017–18/ 1600–1601 दिनांक:– 06/08/2018

सेवा में,

उपसचिव, (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054

विषय:– विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 11 दिनांक 06.08.2018 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक 06.08.2018 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त प्रश्न की 100 प्रतिलिपियॉं भेजने का निर्देश हुआ है। जोकि आपको प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार

उप शिक्षा निदेशक,
(विधायी कार्य शाखा)

DDE (PGMS)
Dte. of Education
Govt. of NCT Delhi

प्रतिलिपि:–
1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054 (150 कापियॉं)।

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 11

दिनांक :– 06.08.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :– श्री ओम प्रकाश शर्मा

क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार मिड–डे–मील की गुणवत्ता को सुधारने में विफल रही है,	जी नहीं, यह सत्य नहीं है।
(ख)	क्या यह सत्य है कि शिक्षा निदेशालय के द्वारा भेजे गए लगभग 90 प्रतिशत सैम्पल टैस्टिंग में फेल हो जाते हैं,	जी नहीं, यह सत्य नही है।
(ग)	वर्ष 2013 के बाद मिड–डे–मील के सैम्पल में से कितने फेल और कितने पास हुए, और	2013 से जून, 2018 तक कुल 3655 सेम्पल कलेक्शन किये गये। जिसमे से 3033 सेम्पल पास हुए तथा 622 सेम्पल फेल हुए।
(घ)	सरकार मिड–डे–मील में हो रही गडबडियों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है, पूर्ण विवरण दें?	सरकार मिड–डे–मील मे गडबडियो को रोकने के लिए निम्न कदम उठा रही है :– 1 मिड–डे–मील की गुणवत्ता चेक करने के लिये शिक्षा निदेशालय द्वारा अधिकृत लैब M/s. Ficci Research & Analysis Centre के द्वारा प्रत्येक एनजीओ के पके हुये खाने के चार सेम्पल (तीन स्कूल से तथा एक रसोई घर से) लिये जाते हैं तथा उनकी जाच की जाती है। 2 स्कूल मिड–डे–मील कमेटी, जिसमें कि हेड आफ स्कूल, शिक्षक प्रभारी (मिड–डे–मील), गृह विज्ञान शिक्षक, कम से कम तीन अलग अलग कक्षाओं के बच्चों की मातायें, डीडीओ और एक वीकेएस सदस्य होता हैं, का भी गठन हर स्कूल मे किया हुआ है। 3 स्कूल मिड–डे–मील कमेटी द्वारा बच्चो को मिड–डे–मील बाटने से पहले चख कर जांच की जाती है। 4 स्कूल मिड–डे–मील कमेटी यह सुनिश्चित करती है कि खाना ताजा, साफ व स्वच्छ हो तभी बच्चों को मिड–डे–मील दिया जाता है। यदि खाना खाने लायक नहीं पाया जाता है तो खाना वापिस कर दिया जाता है और खाना बदलने के लिये कहा जाता है। 5 शिक्षा विभाग द्वारा खाना बनाने वाले कुक कम हेल्पर्स को FSSAI द्वारा मास्टर कुक का प्रशिक्षण दिलाया गया है। 6 यदि मिड–डे–मील में कोई गडबडी पाई जाती है तो शिक्षा विभाग द्वारा सबधित एनजीओ के खिलाफ समझौता शर्तों क अनुसार कडी कार्यवाही की जाती है। 7 मिड–डे–मील रसोईयों के हर महीने दो निरीक्षण सबधित जिले के उप शिक्षा निदेशक द्वारा किये जाते हैं। 8 मिड–डे–मील के सबध मे स्कूलों एव एनजीओ को समय समय पर सुझाव (Advisory) जारी किये जाते हैं।